(104)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3462–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 38/2012–13/स्वमेव निगरानी.

---

1– सुघर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
2– जगदीश पुत्र सुन्दर सिंह
निवासीगण ग्राम विकमपुर
तहसील व जिला ग्वालियर ..............आवेदकगण

**विरूद्ध**

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
जिला ग्वालियर ..............अनावेदक

---

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 16/2/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरार द्वारा प्रकरण कमांक 13/2012–13/172 (1)/अ–2 में दिनांक 11–12–12 को आदेश पारित कर ग्राम विकमपुर तहसील ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 249/मिन–2 रकबा 0.314 हेक्टेयर का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया गया । कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा उक्त आदेश में अनियमिततायें पाते हुए प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर प्रकरण कमांक 38/12–13/स्वमेव निगरानी दर्ज कर दिनांक 12–8–2013 को आदेश पारित

करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का व्यपवर्तन आदेश दिनांक 11—12—12 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश था, इसलिए कलेक्टर को प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, अतः कलेक्टर द्वारा पारित अधिकारिता रहित आदेश है । यह भी का गया कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपीलीय आदेश के विरूद्ध स्वप्रेरणा से निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । यहँ भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कब की गई है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की गई है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 180 दिवस के अन्दर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जानी चाहिए । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन आदेश पारित करने में गंभीर अनियमिततायें की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रेलवे लाईन के 30 मीटर के अन्दर स्थित भूमि का व्यपवर्तन किया गया है, जबकि रेलवे लाईन के 30 मीटर के अन्तरण का व्यपवर्तन प्रतिबंधित है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित व्यपवर्तन आदेश पूर्णत अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 3463–पीबीआर / 13 (शिवचरन पुत्र गनेशराम आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर), निगरानी 3464–पीबीआर / 13 (रतीराम पुत्र मजरी आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर), निगरानी 3465–पीबीआर / 13 (श्रीमती मुन्नी पत्नी उत्तम सिंह आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर), निगरानी 3466–पीबीआर / 13 (श्रीमती सावित्री बेवा बुद्ध सिंह आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर), निगरानी 3467–पीबीआर / 13 (जसवन्त सिंह पुत्र राचमचरण आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर) एवं निगरानी 3468–पीबीआर / 13 (श्रीमती प्रेमवती पुत्री रतन सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर) पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में सलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर